

# मा0 निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की सम्पन्न अष्टम बैठक

दिनांक 19.11.2025 की कार्यवृत्त :-

पत्रांक 475/प्र-1/007-नि०म०बै०-004/2025

दिनांक 10.12.2025

मा0 निदेशक मण्डल के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् है:-

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. डॉ० राज शेखर, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. डॉ० राजेश कुमार प्रजापति, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अपर निदेशक (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. श्री राजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
6. श्री शहजाद अहमद अंसारी, वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री संदीप सिंह, सलाहकार (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
9. श्री संदीप सिंह, सलाहकार एवं श्री अरशद के० सिद्दीकी, सलाहकार (अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ।
10. डॉ० सविता विश्वास, सं०निदेशक(अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि:-

1. डॉ० अम्बरीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. श्री ओम प्रकाश चौहान, उप सचिव, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) के निम्नवत् अधिकारी उपस्थित रहें:-

1. श्री जोगिन्दर सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. श्री प्रभाष कुमार, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा मा० निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। मा० निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं मा० अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये:-

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
08.01	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की सप्तम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा सप्तम् बैठक दिनांक 24.04.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त बुक (रजिस्टर) में चस्पा कर मा० अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करा लिया गया।
08.02	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की सप्तम् बैठक के अनुपालन की स्थिति।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा सप्तम् बैठक दिनांक 24.04.2025 को लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लेते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया गया-

Am (R) S L D

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>(क) षष्टम् बैठक के मद सं० 06.23 अन्तर्गत अनुबन्ध की लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक के वैरियेशन स्वीकृति करने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही को 02 माह में पूर्ण की जाय।</p> <p>(ख) सप्तम् बैठक के मद सं० 07.03 अन्तर्गत मृतक अश्रितों के सम्बन्ध में दिनांक 24.4.2025 को निर्णय लिया जा चुका था किन्तु अधिकांश मामलों का अभी तक निस्तारण नहीं किया जा सका है। मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निर्देश दिये गये कि समस्त प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर 15 दिवस में अवगत कराया जाय।</p> <p>(ग) सप्तम् बैठक के मद सं० 07.26 अन्तर्गत राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण हेतु डी०पी०आर० प्रस्तुत करने के निर्देश गत बैठक में दिये गये थे। 08 माह में कोई भी सार्थक कार्यवाही न होने पर खेद व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर समुचित कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत करायें।</p> <p>(घ) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के आस्तियों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन अभी तक नहीं हो सका है संबंधित बैलेन्सशीट प्राप्त नहीं हो पाने के कारण जी०पी०एफ० आदि के भुगतान अभी तक लंबित है इस संबंध में आई०आई०डी०सी० के समक्ष बैठक निर्धारित कराये जाने हेतु एजेण्डा सहित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें।</p> <p>(ङ) विभागीय कार्यवाहियों में जांच आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त कई प्रकरण काफी समय से लम्बित है। कृपया समस्त विभागीय कार्यवाहियों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करें। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरणों का एक माह में निस्तारण कर दिया जाय। आगामी बैठक में एक वर्ष से अधिक लम्बित रही विभागीय कार्यवाहियों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय।</p>
08.03	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अवमुक्त की गई ब्याज रहित अग्रिम धनराशि रू० 100.00 करोड़ (रू० सौ करोड़ मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अवमुक्त की गई ब्याज रहित अग्रिम धनराशि रू० 100.00 करोड़ (रू० सौ करोड़ मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
08.04	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंसशीट तथा आय-व्यय के विवरण पत्र का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंसशीट तथा आय-व्यय के विवरण पत्र का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रदान किया गया।
08.05	“उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवाविनियमावली-2016” में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की भांति उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में लागू “उत्तर प्रदेश जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवाविनियमावली-2020” में शैक्षिक अर्हता प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	“उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवाविनियमावली-2016” में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की भांति उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में लागू “उत्तर प्रदेश जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवाविनियमावली-2020” में शैक्षिक अर्हता प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
08.06	A जनपद प्रतापगढ़ में फण्ड डायवर्जन के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अपूर्ण 16 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि रू० 3737.45 लाख (18 % GST, Centage & Labour Cess सहित) की माँग के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत प्रश्नगत 24 नग पाइप पेयजल योजनाओं में से 20 नग पाइप पेयजल योजनायें राष्ट्रीय ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत थी एवं 04 नग पाइप पेयजल योजनायें राज्य ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 20 नग पाइप पेयजल योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रू० 2161.63 लाख के सापेक्ष रू० 2063.13 लाख उ०प्र० जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध करा दी गयी थी। उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से रू० 551.71 लाख के कार्य कराये गये। शेष रू० 1511.42 लाख की धनराशि का डायवर्जन किया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त डायवर्जन हेतु जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, उनसे वसूली की क्या स्थिति है। सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय। उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर प्रभावी पैरवी कराते हुए एक विधिक टीम के माध्यम से वसूली, विभागीय कार्यवाही एवं किमिनल प्रोसिडिंग की समयबद्ध कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की समस्त सूचनाओं को मा० निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। वर्ष 2015-16 में जनपद प्रतापगढ़ में राज्य ग्रामीण पाइप पेयजल योजना अन्तर्गत स्वीकृत 04 नग पाइप पेयजल योजनाओं की मूल स्वीकृत

Am   


मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>लागत रू० 1092.48 लाख के सापेक्ष रू० 436.99 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी थी। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर जन सामान्य को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू० 655.49 लाख में 07 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि एवं 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 1298.00 लाख दिये जाने के बिन्दु पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि यह धनराशि किस मद में मांगी जा रही तथा क्या उस मद में धनराशि उपलब्ध है।</p>
B	<p>जनपद मीरजापुर में फण्ड डायवर्जन के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अपूर्ण 05 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि रू० 386.65 लाख एवं लंबित देयता रू० 145.59 लाख कुल रू० 532.24 लाख की धनराशि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था से उत्तर प्रदेश शासन से अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।</p>	<p>जनपद मीरजापुर में स्वीकृत 11 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु मूल लागत रू० 1785.63 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण अवमुक्त धनराशि रू० 1785.63 लाख में से रू० 1076.81 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी तथा रू० 708.80 लाख की धनराशि अन्य योजनाओं के सापेक्ष सामग्री क्रय करने में ब्यवर्तित कर दी गयी, जिसके कारण 05 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य वर्तमान में अपूर्ण है।</p> <p>खण्डीय भण्डार, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर में सरप्लस सामग्री का विभिन्न डिप्टीजनों/संस्थाओं में विक्रय के माध्यम से खण्ड कार्यालय मीरजापुर को रू० 477.61 लाख की धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा रू० 32.43 लाख की धनराशि अभी भी खण्ड कार्यालय मीरजापुर में प्राप्त होना अवशेष है। इस प्रकार प्राप्त धनराशि तथा प्राप्त होने वाली धनराशि का कुल योग रू० 510.05 लाख होता है।</p> <p>खण्ड कार्यालय मीरजापुर में प्राप्त रू० 477.61 लाख में से लंबित देयताओं के सापेक्ष व्यय तथा कुल 06 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। सम्प्रति 05 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान में अपूर्ण है।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय स्तर से टी०ए०सी० का गठन वर्ष 2023 में किया गया। टी०ए०सी० द्वारा मीरजापुर में उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए सामग्री की अनुमानित लागत रू० 303.77 लाख आकलित की गयी। तत्पश्चात उक्त सामग्री को नीलामी किये जाने हेतु 04 भागों में निविदा आमंत्रित की गयी। तत्कम में 01 भाग (मैटेलिक) की नीलामी से रू० 82.68 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें</p>

Am (9) 2 1 1


मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>से 03 योजनाएं यथा- गैपुरा, राजापुर एवं राजपुर खरखसीपुर पर क्रमशः रू० 42.42 लाख, रू० 28.56 लाख एवं रू० 11.68 लाख को आंशिक कार्य कर व्यय किया जा चुका है।</p> <p>मा० निदेशक मण्डल द्वारा उपलब्ध सामग्री की नीलामी आगामी 02 माह में पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये तथा जितनी धनराशि वसूली किया जाना अवशेष रह जाय उसे छोड़ते हुए शेष धनराशि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।</p>
08.07	अनुरक्षण एवं संचालन हेतु डी०पी०आर० गठन की स्थिति जनपदवार प्रस्तुत किये जाने के संदर्भ में एजेण्डा नोट।	जनपदवार अनुरक्षण एवं संचालन हेतु डी०पी०आर० गठन की स्थिति का मा० निदेशक मण्डल, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संज्ञान लिया गया।
08.08	जल जीवन मिशन के आधार पर अनुरक्षण एवं संचालन अन्तर्गत स्वीकृत पाइप पेयजल योजनाओं का मापांकन एवं बीजक का कार्य ई०एम०बी० के माध्यम से कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	जल जीवन मिशन के आधार पर अनुरक्षण एवं संचालन अन्तर्गत स्वीकृत पाइप पेयजल योजनाओं का मापांकन एवं बीजक का कार्य ई०एम०बी० के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
08.09	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के समस्त क्षेत्रीय, मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के समस्त क्षेत्रीय, मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू किये जाने का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
08.10	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत क्षेत्रीय, मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों में सरकार के स्वामित्व के 64 नग कार्यालयों में सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु लागत रू० 383.01 लाख एवं किराये के 17 नग कार्यालयों में सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु लागत रू० 71.20 लाख कुल 454.21 लाख के विरचित डी०पी०आर० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत क्षेत्रीय, मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों में सरकार के स्वामित्व के 64 नग कार्यालयों में सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु लागत रू० 383.01 लाख एवं किराये के 17 नग कार्यालयों में सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु लागत रू० 71.20 लाख कुल 454.21 लाख के विरचित डी०पी०आर० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मा० निदेशक मण्डल द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को अधिकृत किया गया।
08.11	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।




मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
08.12	<b>अपीलीय प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट-</b>	
	<b>A</b>	<p>श्री भोज राज सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 527/007 - 2014 - 02 - 0042 (आ०क्षे०) दिनांक 30.03.2019 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 20.06.2019 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।</p>
	<b>B</b>	<p>श्री शैलेन्द्र सिंह कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 1243/007-2019-02-0013(वा०क्षे०) दिनांक 01.10.2020 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2021 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।</p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को कार्यालय ज्ञाप सं०-1243/007-2019-02-0013(वा०क्षे०) दिनांक 01.10.2020 द्वारा दो वेतनवृद्धि स्थाई रूप से रोके जाने का दण्ड निर्धारित करते हुये उल्लिखित है कि प्रश्नगत मामले में कुल वित्तीय हानि का निर्धारण होने के पश्चात् नियमानुसार आर्थिक क्षति अधिरोपित/निर्धारित की जायेगी।</p> <p>प्रश्नगत दण्डादेश में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत कुल वित्तीय हानि का मूल्यांकन करने के फलस्वरूप प्रकरण को मा० निदेशक मण्डल द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।</p>
<b>C</b>	<p>श्री विजय सिंह, जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 151/007-2015-02-0097(आ०क्षे०) दिनांक 06.02.2021 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 01.10.2021 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>श्री विजय सिंह, जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 151/007-2015-02-0097(आ०क्षे०) दिनांक 06.02.2021 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 01.10.2021 एवं स्व० विजय सिंह, जूनियर इंजीनियर की दिनांक 03.03.2022 को मृत्यु के दृष्टिगत प्रकरण में विधि परामर्शदाता द्वारा अवगत कराया गया है कि समान प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०-47122/2016 (राज किशोरी देवी बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य) में पारित आदेशानुसार कार्मिक की वसूली उनकी मृत्यु होने के उपरान्त आश्रितों के देयकों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त समस्त देयक परिवार के जीवन निर्वहन के लिये दिये जाते हैं एवं उक्त समस्त देयक मृत्यु के उपरान्त परिवार की सम्पत्ति हो जाती है।</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		उक्त विधिक परामर्श के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 151/007-2015-02-0097(आ०क्षे०) दिनांक 06.02.2021 द्वारा स्व० विजय सिंह, जूनियर इंजीनियर को निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।
	<b>अभियोजन की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट—</b>	
08.13	A	<p>श्री सर्वेश कुमार अवस्थी, तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक (सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता) एवं श्री रामसेवक शुक्ला तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता) के विरुद्ध मु०अ०सं०-121/2021 धारा 420/409/120बी० भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।</p> <p>(क) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सर्वेश कुमार अवस्थी, तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक (सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता) के विरुद्ध मु०अ०सं०-121/2021 धारा 420/409/120बी० भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत विवेचना सम्बन्धी समस्त अभिलेख, विवेचक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आख्या, अपर महाअधिवक्ता द्वारा प्रेषित विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सर्वेश कुमार अवस्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ख) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राम सेवक शुक्ला, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (से०नि० अधिशासी अभियन्ता), उ०प्र० जल निगम कानपुर नगर के विरुद्ध मु०अ०सं०-121/2021 धारा 420/409/120 बी० भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृत हेतु प्रस्तुत विवेचना सम्बन्धी समस्त अभिलेख, विवेचक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आख्या, अपर महाअधिवक्ता द्वारा प्रेषित विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राम सेवक शुक्ला के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/ 2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p>
B	<p>श्री भूपेन्द्र कुमार तत्कालीन सहायक अभियन्ता/वर्तमान में सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध धारा 409/120बी भा०दं०वि० एवं धारा 13(1) ए सपठित धारा 13(2) भ्र०नि० अधिनियम-1988 यथा संशोधित-भ्र०नि० (संशोधित) अधि०-2018 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार तत्कालीन सहायक अभियन्ता/वर्तमान में सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध धारा 409/120बी भा०दं०वि० एवं धारा 13(1) ए सपठित धारा 13(2) भ्र०नि० अधिनियम-1988 यथा संशोधित-भ्र०नि० (संशोधित) अधि०-2018 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये हैं, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र०</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
	श्री सुधीर कुमार गंगे, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता), श्री समर बहादुर सिंह, जूनियर इंजीनियर (सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता) एवं श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा, संगणक (सेवानिवृत्त संगणक) के विरुद्ध मु०अ०सं०-916/2019 धारा-7/13(1) सपठित धारा-13(2) भ्र०नि०अ० 1988 (संशोधित-2018) अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	<p>(क) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सुधीर कुमार गंगे, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता) के विरुद्ध मु०अ०सं०-916/2019 धारा-7/13(1) सपठित धारा-13(2) भ्र०नि०अ० 1988 (संशोधित-2018) अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सुधीर कुमार गंगे के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p>

Am (9) 2 L 2

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>(ख) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री समर बहादुर सिंह, जूनियर इंजीनियर (सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता) के विरुद्ध मु०अ०सं०-916/2019 धारा-7/13(1) सपटित धारा-13(2) भ्र०नि०अ० 1988 (संशोधित-2018) अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री समर बहादुर सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपटित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021/13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ग) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा, संगणक (सेवानिवृत्त संगणक) के विरुद्ध मु०अ०सं०-916/2019 धारा-7/13(1) सपटित धारा-13(2) भ्र०नि०अ० 1988 (संशोधित-2018)</p>

Asst (A) S L P

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p>
D	<p>जनपद-संतकबीरनगर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू० 80.00 लाख के अनियमित भुगतान के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (ई०ओ०डब्लू०) द्वारा संस्तुत 12 सेवानिवृत्त कार्मिकों यथा श्री राम लोचन, से०नि० अधि०अभि०, श्री जयशंकर प्रसाद, से०नि० सहा०अभि० श्री राजेश्वर सिंह,</p>	<p>(क) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राम लोचन पुत्र श्री रामसूरत (से०नि० अधि०अभि०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471/120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राम लोचन के विरुद्ध अभियोजन</p>


Asu  

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
	<p>से०नि० सहा०अभि०, श्री गोविन्द लाल, से०नि० जू०इं०, श्री सुभाष चन्द्र, से०नि० खण्डीय लेखाकार, श्री रामचन्द्र मौर्य, कार्य० कैशियर (से०नि० फील्ड कर्मचारी), श्री अनिल चन्द्र, से०नि० अधि०अभि०, श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, से०नि० जू०इं०, श्री बांके लाल, तत्कालीन जू०इं० (से०नि० सहा०अभि०), श्री अमित कुमार सिंह, जू०इं० श्री शीतल प्रसाद, से०नि० खण्डीय लेखाकार एवं श्री राधेश्याम, से०नि० खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/ 2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ख) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री जयशंकर प्रसाद पुत्र स्व लालसा प्रसाद (से०नि० सहा०अभि०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री जयशंकर प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम</p>







मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021/13दिनांक 31.12.2013 एव कार्यालय ज्ञापसं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ग) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व० शिव पाल सिंह (से०नि० सहा०अभि०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राजेश्वर सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी।</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये हैं, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(घ) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री गोविन्द लाल पुत्र स्व० धनश्याम लाल (से०नि० जू०इ०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471/120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री गोविन्द लाल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ड) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र रामाप्रसाद (से०नि० खण्डीय लेखाकार) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री सुभाष चन्द्र के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/ 2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(च) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री रामचन्द्र मौर्य पुत्र स्व० सोमई मौर्य कार्यवाहक कैशियर (से०नि० फील्ड कर्मचारी) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471/120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीयमत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री रामचन्द्र मौर्य के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-4), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-4), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p>






मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>(छ) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनिल चन्द्र पुत्र चन्द्रिकाराम (से०नि० अधि०अभि०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनिल चन्द्र के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये हैं, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ज) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनिरुद्ध पाण्डेय पुत्र सालिकराम पाण्डेय (से०नि० जू०इ०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि०</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनिरुद्ध पाण्डेय के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(झ) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री बांके लाल पुत्र स्व० बसन्त राम तत्कालीन जू०इ० (से०नि० सहा०अभि०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>द्वारा श्री बांके लाल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपठित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-1), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ज) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अमित कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह (जू०इ०) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री अमित कुमार सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p>






मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपटित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/ 2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/ (005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ट) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री शीतल प्रसाद पुत्र बुधई (से०नि० खण्डीय लेखाकार) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री शीतल प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपटित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी</p>


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ठ) मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राधेश्याम पुत्र स्व० रामहित (से०नि० खण्डीय लेखाकार) के विरुद्ध मु०अ०सं० 15/2019 धारा 420/467/468/471 /120बी भा०द०वि० अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियोजन की स्वीकृति हेतु विधिक राय, विभागीय मत एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन व विचारोपरान्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राधेश्याम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया और तदनुसार अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 सपटित संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्तर-11 में निगम की शक्तियों का प्रतिनिधान निगम द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सामान्य अथवा किसी विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी समिति को अथवा निगम के अध्यक्ष को अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतियोजित कर सकेगी। तदक्रम में प्रधान कार्यालय तत्कालीन उ०प्र० जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-2292/प्र-1/2005-0021 /13 दिनांक 31.12.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप</p>



मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
		<p>सं०-429/प्र-1/6/द्वितीय/(005-0347)/2004 दिनांक 16.03.2004 में (समूह क, ख, ग, घ) के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी नामित किये गये है, जो कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अभियोजन हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने हेतु वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया। तदनुसार वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</p>
08.14	<p>जनपद-सोनभद्र की कुण्डारी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली की ड्राइंग एवं डिजाइन बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत कराये वितरण प्रणाली के कार्यों को कराने के कारण श्री शिव कुमार उपाध्याय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>जनपद-सोनभद्र की कुण्डारी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली की ड्राइंग एवं डिजाइन बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत कराये वितरण प्रणाली के कार्यों को कराने के कारण श्री शिव कुमार उपाध्याय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-502/009-2025-02-0037(वा०क्षे०) दिनांक 06.10.2025 द्वारा संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।</p>
08.15	<p>श्री अवध बिहारी मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>श्री अवध बिहारी मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में निर्गत धनराशि रू० 1,84,850.00 की मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।</p>
08.16	<p>उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु निर्गत धनावंटन आदेश सं० 629/1004/बजट दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों के वेतन के सम्बन्ध में/25 दिनांक 17.10.2025 की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।</p>	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु निर्गत धनावंटन आदेश सं० 629/1004/बजट दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों के वेतन के सम्बन्ध में/25 दिनांक 17.10.2025 की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

मद सं०	एजेण्डा बिन्दु	लिये गये निर्णय
1	2	3
08.17	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2025 से मंहगाई भत्ता 252 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2025 से मंहगाई भत्ता 257 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को षष्टम वेतनमान के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से अनुमन्य मंहगाई भत्ता 252 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2025 से अनुमन्य मंहगाई भत्ता 257 प्रतिशत लागू किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
08.18	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2025 से मंहगाई राहत 252 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2025 से मंहगाई राहत 257 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को षष्टम वेतनमान के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से अनुमन्य मंहगाई राहत 252 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2025 से अनुमन्य मंहगाई राहत 257 प्रतिशत लागू किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

  
(अरुण कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

  
(डॉ० राजेश कुमार प्रजापति)  
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/  
सचिव (प्रशासन)

  
(शहजाद अहमद अंसारी)  
वित्त निदेशक

  
(डॉ० राज शेखर)  
प्रबन्ध निदेशक

  
(अनुराग श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष